



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102022-239608
CG-DL-E-13102022-239608

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4650]
No. 4650]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 12, 2022/आश्विन 20, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 12, 2022/ASVINA 20, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4860(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट NH758 के किमी 0 किमी से 87.25 किमी तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH758 तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	
1	सक्षम प्राधिकारी (भू.अ.) /उपखण्ड अधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH758 के	राजस्थान	भीलवाडा	सहारा	1	सैलियस
						2	सहारा (रूरल)
						3	भूणास

[फा. सं. 1510]
राजेश गुप्ता, निदेशक

NOTIFICATION

S.O. 4860(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 0 to Km. 87.25 of the NH758 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of RAJASTHAN.

Land acquisition on National Highway No. NH758 in the State of RAJASTHAN.

[F. No. 1510]

RAJESH GUPTA, Director